डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान दरबसिंह बनाम पीतम वगैरा

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 184/2015

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

हाल विवादित आराजीयात ख.न. 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, वाके ग्राम कासगंज तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 11.07.2022 के अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 11.07.2022 इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ——————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23/04/24 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— 23/4/24

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक नदबई (भरतपुर) राज

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

23/4/24
सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक नदबई (भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

1. दरबसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. पीतम पुत्र रूपन उर्फ रूपनारायन (मृतक)

1.1 अमरसिंह पुत्र पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

1.2 फूलवती पुत्री पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

1.3 चन्द्रवती पुत्री पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

1.4 शीला पुत्री पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

1.5 रामौती पुत्री पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

2. उदयसिंह पुत्र भजनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
3. देवेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू पुत्र भजनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
4. मोती पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
5. रूपराम पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
6. भगवानसिंह पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
7. चन्द्रादेवी पत्नि मोतीराम जाति माली निवासी कासगंज रोड, नदबई
8. प्रेमसिंह पुत्र रामचंद जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
9. रघुनाथसिंह पुत्र रामचंद जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
10. हेतराम पुत्र रामचंद जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
11. दाखा देवी वेवा परभाती मृतक
12. बच्चूसिंह पुत्र परभाती जाति मीना निवासी कासगंज रोड, नदबई
13. जगदीश पुत्र परभाती जाति मीना निवासी कासगंज रोड, नदबई
14. विजेन्द्रसिंह पुत्र बृजमोहन जाति मीना निवासी कम्पनीबाग अलवर
15. टूडलराम पुत्र बटीलाराम जाति मीना निवासी फतेहपुर, मुरावली तहसील लक्ष्मणगढ
16. चन्द्रवती पत्नि साहबसिंह जाति जाट निवासी स्टेशन के सामने गोदाम नदबई
17. काशीराम पुत्र मंगतीराम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह,तह.नदबई
18. जियाराम पुत्र मंगतीराम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह,तह.नदबई
19. सीताराम पुत्र मंगतीराम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह,तह.नदबई
20. होतीलाल पुत्र मंगतीराम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह,तह.नदबई
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
22. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई

प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

23/4/24
सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 196/2016

विरुद्ध धारा 53 राज. काश्त. अधि.

निर्णय दिनांक 23.08.2024

1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर) — वादी

बनाम

1. पीतम पुत्र [illegible] उर्फ [illegible] (मृतक)
1.1 [illegible] पुत्र पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
1.2 [illegible] पुत्री पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
1.3 [illegible] पुत्री पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
1.4 [illegible] पुत्री पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
1.5 [illegible] पुत्री पीतम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
2. [illegible] पुत्र भजनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
3. देवेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू पुत्र भजनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
4. भोली पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)
5. [illegible] पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6. भगवानसिंह पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

7. चन्द्रादेवी पत्नि मोतीराम जाति माली निवासी कासगंज रोड, नदबई

8. प्रेमसिंह पुत्र रामचंद जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

9. रघुनाथसिंह पुत्र रामचंद जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

10. हेतराम पुत्र रामचंद जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई (भरतपुर)

11. दाखा देवी वेवा परभाती मृतक

12. बच्चूसिंह पुत्र परभाती जाति मीना निवासी कासगंज रोड, नदबई

13. जगदीश पुत्र परभाती जाति मीना निवासी कासगंज रोड, नदबई

14. विजेन्द्रसिंह पुत्र बृजमोहन जाति मीना निवासी कम्पनीबाग अलवर

15. टूडलराम पुत्र बटीलाराम जाति मीना निवासी फतेहपुर, मुरावली तहसील लक्ष्मणगढ

16. चन्द्रवती पत्नि साहबसिंह जाति जाट निवासी स्टेशन के सामने गोदाम नदबई

17. काशीराम पुत्र मंगतीराम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह,तह.नदबई

18. जियाराम पुत्र मंगतीराम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह,तह.नदबई

19. सीताराम पुत्र मंगतीराम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह,तह.नदबई

20. होतीलाल पुत्र मंगतीराम जाति माली निवासी खेडीदेवीसिंह,तह.नदबई

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

22. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई

प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित श्री फू[illegible] एड0(वादीगण)

श्री [illegible]रसिंह एड0 (प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा 53,188 आर.टी.ए.

Scanned with CamScanner

1. यह कि मुकदमाफरीकेन में वादी एवं एवं प्रतिवादीगण में से ऐसा कोई सख्श नहीं है जो दावा लडने के योग्य न हो यानि दोनों पक्षकारान मुकदमा लडने में सक्षम है।
2. यह कि आराजी खसरा न. 427 रकवा 0.21 है. व 428 रकवा 0.21 व 429 रकवा 0.44 व 430 रकवा 0.17, 431 रकवा 0.18, 432 रकवा 0.18, 433 रकवा 0.19, 434 रकवा 0.19, 435 रकवा 0.46, किता 9 कुल रकवा 2.23 है. वाके ग्राम कासगंज तहसील नदबई में स्थित है, जिसमें वादी हिस्सा 1/6 के सहखातेदार काश्तकार है, तथा शेष हिस्से के प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा रिकॉर्ड सहखातेदार काश्तकार है, तथा शेष हिस्से के प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा रिकॉर्ड सहखातेदार काश्तकार दर्ज रेवन्यू रिकॉर्ड है।
3. यह कि उपरोक्त आराजी मद सं. 2 वादपत्र में से मुताविक हिस्सा वादी ने आराजी खसरा न. 429 मनवट अनुसार ले रखा है लेकिन वाईपास निकालने के लिये सर्वे हो गया है जिस कारण सभी हिस्सेदारों को हिस्सा अनुरूप मुआवजा मिलने की पूर्ण संभावना है, इसलिये उक्त खसरा न. को छोडकर शेष आराजी मद सं. 2 वादपत्र किता 8 कुल रकवा 1.79 है. में से मुताबिक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पैमाईश कराकर पृथक पृथक कुरेजात निर्धारित कराकर कब्जा दिलाकर पृथक खातेदारी दर्ज कराई जावे।
4. यह कि वादी अपने हिस्से मुताबिक काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बदनीयति आ गई है, जिस कारण वे वादी को उनके हिस्से आराजी से वेदखल करना चाहते है, जिसकी धमकी उन्होंने वादी को दिनांक 11.11.2015 को दी है। अगर प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय की जारी करा पाने का अधिकारी है कि बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आई आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

23/4/24

Scanned with CamScanner

5. यह कि विनायमुखास्मत दावा हाजा यौम देने धमकी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिनांक 16.11.2015 कों दिये जाने से पैदा होकर वादी को यह दावा लाने का हक हासिल हुआ है।

6. यह कि विवादित आराजी व पक्षकारान मुकदमा अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने व निवास करने से अदालत श्रीमान को वादपत्र श्रवण का अधिकार हासिल है।

7. यह कि वाद बटवारा का होने के कारण तहसीलदार नदबई व रहन होने के कारण पीएनबी नदबई को पक्षकार बनाया गया है।

8. अन्त में प्रार्थना है कि आराजी मद सं. 2 वादपत्र में से खसरा न. 429 को छोडकर किता 8 कुल रकवा 1.79 है. वाके ग्राम कासगंज पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सा अनुसार वाद पैमाईश व कब्जा दिलाकर पृथक कुरेजात निर्धारित कराकर पृथक खातेदारी दर्ज कराई जावे, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत नहीं करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 22 की तलवी हो चुकी है, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 22 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र रामोदेवी पत्नि दिनेश कुमार की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री जगवीरसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुकदमा पक्षकार दिनांक 15.12.2022 को बनाया गया।

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संबत 2068–2071, 2076–79, वाके ग्राम कायसगंज पेश की गई एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी दरवसिंह एवं निरंजन सिंह के शपथपत्र बयान पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश एवं मौखिक बयान पेश नहीं किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

23/4/24

Scanned with CamScanner

वादी वकील द्वारा दौराने बहस वादपत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराया गया एवं वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 53,188 आरटीए के तहत पेश किया गया, तथा वाद वादी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.04.2017 को किया जाकर विवादित आराजीयात के विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार नदबई को जरिये पत्रांक 246 दिनांक 07.04.2021 से लिखा गया। तहसीलदार नदबई द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2022 जरिये पत्रांक एलआर/2022/2202 दिनांक 12.07.2022 से भिजवाये गये। प्रतिवादी रामोदेवी की ओर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.2022 एतराज कुर्रा रिपोर्ट पेश की गई जो कि इस प्रकार है :–

1. यह कि श्रीमान के आदेशानुसार तहसीलदार नदबई को पत्र जारी करते समय यह निर्देश दिया जाता है कि उभयपक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में कुर्रा रिपोर्ट तैयार की जावे, परन्तु उक्त पत्रावली में श्रीमान के आदेश की परवाह न करते हुये मात्र वादी के हितार्थ व प्रतिवादीगणों के हितों को ध्यान न रखते हुये उक्त कुर्रा रिपोर्ट नक्शा तैयार की गई जिस पर वादी के अलावा अन्य खातेदारों जो कि उक्त भूमि में सहखातेदारान हैं, उनके न तो उपस्थिति का जिक्र किया है। जैसा कि हस्ताक्षर की उक्त कुर्रा रिपोर्ट तैयार करते समय हम प्रतिवादीगण को सूचित नहीं किया और हमारे उक्त कुर्रा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी नहीं है।
2. यह कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट हेतु न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी आराजी का सहखातेदारों के मध्य विभाजन किया जावे। उक्त आदेश को नजरंदाज किया गया। उक्त न्यायालय श्रीमान देखें कि कुर्रा रिपोर्ट के साथ नक्शा का अवलोकन करने पर वाईपास सडक की भूमि दोनों तरफ नक्शा मुलायजा करे, वादी को दी गई है। [illegible] मौके के विपरीत व गलत है।
3. यह कि प्रस्तावित खसरा नं. [illegible] से रास्ते की सम्मिलत भूमि में बताया है, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

23/4/24

Scanned with CamScanner

4. यह कि कुरेजात हेतु प्रस्तावित संपूर्ण भूमि एकदूसरे सहखातेदारों की मेंढों से लगी हुई है। उक्त भूमि ग्राम कासगंज व लालचाह की मेढों से लगी हुई है। मेंढ पर कच्ची बदली से मिट्टी डली हुई हैं जो कि रास्ते के रूप में कार्य में आ रही है। प्रस्तावित नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता गलत दिखाया गया है। उक्त रास्ता ग्रामों की सीमा से लगा होना दिखाया गया है। उक्त नाप की पर्याप्त चौडाई हो सके व अनावश्यक भूमि खराब नहीं हो।

5. यह कि कुर्रा रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा का अवलोकन करने पर प्रस्तावित खसरा न. 515/428/3 रास्ते की भूमि में समस्त खातेदारी को दर्शाया गया है। जबकि उक्त भूमि में कुर्रा न. 1 के खातेदार को दिया जाना चाहिये उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग उपभोग कुर्रा न. 1 के खातेदार का है। इसी प्रकार खसरा न. 513/429/3, 430/3, 431/2, 432/2, 433/3, 434/3 रास्ते की भूमि में भी समस्त खातेदारों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। जबकि उक्त भूमि में कुर्रा न. 1,2,3 के खातेदारों का कोई मतलब नहीं है, और न ही व तरफ उनकी कोई भूमि शेष नहीं है, जिसके लिये रास्ता चाहा गया है।

6. यह कि कुर्रा न. 6 के सभी खातेदार जाट है, जबकि कुर्रा रिपोर्ट में माली दर्शाया गया है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि कुर्रा रिपोर्ट मय नक्शा पर आक्षेप सं. 1 लगायत 6 को ध्यान में रखते हुये गुण अवगुण का अवलोकन करते हुये तहसीलदार नदबई को निर्देशित करें कि वह मौके पर जाकर समस्त खातेदारों की उपस्थिति में पुनः उक्त कुर्रा रिपोर्ट मय नक्शा में संशोधन कर सभी सहखातेदारों के हितार्थ व लाभार्थ कुर्रा रिपोर्ट पेश करें।

उक्त कुर्रा रिपोर्ट आपत्ति का जबाब वादी की ओर से निम्नानुसार दिया गया :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि मद सं. 1 प्रार्थना पत्र गलत व [illegible] होने के कारण अस्वीकार है। कुर्रा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सभी सहकाश्तकार को पूर्व में ही नोटिस जारी कर दिये गये, लेकिन आपत्तिकर्ता मौके पर नहीं पहुंचे

23/4/24

Scanned with CamScanner

तो इसमें तहसीलदार नदबई का कोई दोष नहीं है, तथा अन्य उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये गये हैं।

2. यह कि मद सं. 2 प्रार्थना पत्र गलत होने के कारण अस्वीकार है, कुर्रा रिपोर्ट रेवन्यू बोर्ड रूल्स धारा 18 से 21 के अंतर्गत कब्जे मौके के अनुसार रही, वादी को प्रदान की गई है। पूर्व से ही वादी का उक्त खसरा नम्बरान पर कब्जा था। वाईपास निकलने पर सडक में गई भूमि का मुआवजा भी सभी सहकाश्तकार ने लिया हुआ है। टुकडे दोनों तरफ खसरा न. 511/429/2 रकवा 0.1370 व 513/429/1 रकवा 0.150 न्यूनतम रकवा बचा है जिसे सभी सहकाश्तकारों में बांटा जाना सम्भव नहीं है, लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

3. यह कि रास्ता की भूमि 515/428/3 की भूमि से खुद आपत्ति कर्ता के खेत खसरा न. 427/1 व अन्य खसरा न. 427/2 व 515/428/1 पर पहुंचने का रास्ता कायम किया है, जो औचित्य पूर्ण है, उक्त रास्ता की भूमि अकेले आपत्तिकर्ता को कुर्रा न. 1 में नहीं दी जा सकती है, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

4. यह कि रास्ता के भूमि के खसरा न. 430/3 व 431/2 व 432/2 व 433/3 , 434/3 कुर्रा न. 4 के खसरा न. 431/1, कुर्रा न. 5 के खसरा न. 432/1 व कुर्रा न. 5 के खसरा न. 433/1 व कुर्रा न. 6 के खसरा न. 434/1 व कुर्रा न. 7 के खसरा न. 435 के खातेदारों को पहुंचने का रास्ता है। इस प्रकार कुर्रा न. 1, 2, व 3 के खातेदारों को पहुंचने का रास्ता 515/528 में होकर दिया गया है। इससे प्रार्थी आपत्तिकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार आपत्तिकर्ता के सारे ऐतराज निराधार है।

5. कुर्रा न. 6 में खातेदारों की जो जाति माली लिखी है वे जाति से जाट हैं जो काबिल खारिजी के है।

उभयपक्षकरान के अधिवक्ताओ की आपत्ति ऐतराज कुर्रा रिपोर्ट सुनी गयी आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट अधिवक्ता ने बहस तर्क दिया कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार नदबई द्वारा तैयार कराई गयी है जिसमें कुर्रा न. 1 में रामादेवी को जो भूमि मिली है तथा कुर्रा न. 9 में 515/428/3 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

23/4/24

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित रास्ता है तथा वो सभी खातेदारान के सम्मिलित रहेगें। जबकि 515/428/3 ये खसरा नम्बर तो मेरे पक्षकरान का रहेगा। तथा 511/429 रास्ता में मुझे भी सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अलावा वादी को बाईपास से लगी हुई भूमि देदी गयी जवकि सबको मिलनी चाहिए। तथा कुर्रारिपोर्ट बनाते समय पक्षकरो को किसी प्रकार कि कोई सूचना नही दी गई है। अतः आपत्ति स्वीकार किया जाकर पुनः कुर्रा रिपोर्ट मंगवाई जावें

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रतिवादी रामोदेवी द्वारा जो आपत्ति पेश कि गई है जो कि एक अजनवी पक्षकार है इसके अलावा किसी ने उक्त कुर्रा रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही किया गया है। ख.न. 511/429/1 मे से बाईपास भूमि निकला है तथा ख.न. 515/428/3 में प्रस्तावित रास्ता है। रास्ते कि भूमि अलग से हो यह संम्भव नहीं है। रास्ते कि भमि से खुद आपत्ति कर्ता के खेत के ख.न. 427/1 व अन्य ख.न. 427/2 0 515/428/1 पर पहुॅचने का रास्ता कायम किया है जो आचित पूर्ण है। तथा बिना रास्त के बटवारा संभव नही है। मिनिमम एरिया है सबको दिया जाना संभव नही है। उक्त कुर्रा रिपोर्ट बनाई गयी है। जो सभी पक्षकारो के हितो को ध्यान मे रखकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ बनाई गई है। अत उक्त कुर्रा रिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किया जावें।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान वकीलो को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.22 को अवलोकन किया गया तो पाया कि वाद पत्र में विवादित आराजी दर्ज व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्से अनुसार आराजी के विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये गये है। तथा पक्षरान को नोटिस से तलव कर उनकी उपस्थिति में [illegible]। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकरान के हस्ता[illegible] है। एव आरा[illegible] राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के नियम 18 [illegible] हुऐ विभाजन प्रस्ताव बनाये गये है। तथा सभी पक्षकरो का हितो को ध्यान में रखते हुऐ एवं सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पक्षकरान को आवागमन के रास्ता देते हुऐ कुर्राजात प्रस्ताव बनाऐ गये है। अत. वादी का वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.07.22 के तहसीलदार नदबई द्वारा बनाये गये को अपने पत्रांक क्रमांक एल.आर. /22/2202 दिनांक 12.07.22 को भिजवाये के अनुसार डिक्री किया जाना उचित है।

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है अतः आदेश है कि हाल विवादित आराजीयात ख.न. 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, वाके ग्राम कासगंज तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 11.07.2022 के अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 11.07.2022 इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

23/4/24

(गंगाधर मीना R.A.S.)

कार्यपालक दण्डनायक नदबई (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.06 11:21:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner